महत्वपूर्ण/शीर्ष प्राथमिकता

संख्या-11/2018/का-1-2018-13(4)/2018

प्रेषक,

अनूप चन्द्र पाण्डेय,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

कार्मिक अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक: 27 सितम्बर, 2018

विषयः- सेवा सम्बन्धी विधिक वादों/अवमानना वादों के सम्बन्ध में।

महोदय,

कतिपय ऐसे प्रकरण संज्ञान में आए हैं, जिसमें प्रशासकीय विभागों द्वारा सेवा/चयन सम्बन्धी प्रकरणों में किये जाने वाले अतिशय विलंब के फलस्वरूप न केवल अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में आपातकालीन विभागीय चयन समिति की बैठक आहूत करते हुए अपूर्ण अभिलेखों के आधार पर विभागीय चयन समिति द्वारा विचार करना पड़ता है वरन् कार्मिक विभाग/शासन को असहज स्थिति का सामना भी करना पड़ रहा है।

2- यह भी संज्ञान में आया है कि कई प्रकरणों में मा0 न्यायालयों के समक्ष प्रचलित अवमानना वादों की सुनवाई में अंतिम अवसर/व्यक्तिगत उपस्थिति की स्थिति उत्पन्न हो जाने के पश्चात्, प्रशासकीय विभागों द्वारा परामर्श हेतु पत्रावलियां, कार्मिक विभाग को प्रेषित की जाती हैं। ऐसी स्थिति में, न केवल कार्मिक विभाग द्वारा प्रकरण का सम्यक् परीक्षण कर समुचित परामर्श देने का अवसर नहीं रह जाता वरन् अनावश्यक दबाव का भी सामना करना पड़ता है। इसी प्रकार, निर्देश याचिकाओं/रिट याचिकाओं में मा0 न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों का ससमय अनुपालन सुनिश्चित करते हुए मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में होने वाली विभागीय चयन समिति की बैठक हेतु समुचित प्रस्ताव समस्त सुसंगत् अभिलेखों सहित उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं, फलतः याचीगण द्वारा मा0 न्यायालयों के समक्ष अवमानना याचिकाएं दाखिल की जाती हैं तथा विधिक बाध्यतावश/अपरिहार्य परिस्थितियों के दृष्टिगत्, प्रशासकीय विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये आधे-अधूरे प्रस्ताव के आधार पर, मेरी अध्यक्षता में होने वाली विभागीय चयन समिति की बैठक सम्पन्न करनी पड़ती है।

3- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रथमतः सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों को नियमानुसार अनुमन्य समस्त सेवा लाभ ससमय उपलब्ध कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए तथा उक्त के संबंध में प्राप्त होने वाले प्रत्यावेदनों का नियमानुसार निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर किया जाय, ताकि सम्बन्धित कार्मिक मा0 न्यायालयों के समक्ष वाद योजित करने के लिए बाध्य न हो सकें। यदि किन्हीं अपरिहार्य परिस्थितियों में मा0 न्यायालयों में वाद योजित किये जाते हैं, तो राज्य सरकार की ओर से प्रभावी प्रतिवाद किया जाय। मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के विरूद्ध या तो निर्धारित समयान्तर्गत अपील की जाय अथवा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

उनका अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय। किसी भी दशा में अवमानना की स्थिति उत्पन्न न होने पाये। यदि अवमानना वाद योजित होने के उपरांत कोई चयन प्रस्ताव कार्मिक विभाग को संदर्भित किया जाय तो उसमें उन कारकों (Factors) का तिथिवार विवरण भी अंकित किया जाय, जिनके कारण अवमानना की स्थिति उत्पन्न हुयी है। विलंब का उत्तरदायित्व भी निर्धारित किया जाय।

4- यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अवमानना वादों के प्रकरणों में, सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव का यह व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होगा कि वह अपर मुख्य सचिव, कार्मिक विभाग समेत समस्त सम्बन्धित परामर्शी/ प्रशासकीय विभागों से समन्वय स्थापित करते हुए प्रकरण का ससमय निस्तारण करवाना सुनिश्चित करें, ताकि राज्य सरकार की छवि धूमिल न हो सके तथा असहजता की स्थिति से बचा जा सके।

भवदीय,

अनूप चन्द्र पाण्डेय

मुख्य सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।